न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या– 3/2008–09 अन्तर्गत धारा–331(4) ज0वि0 अधि0

श्रीमती पवित्रा देवी विधवा स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम–डाबरी, पट्टी बिचला बदरपुर, तहसील–लैन्सडोन, जिला–पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

1. विनोद चन्द्र घिल्डियाल, 2. किशोर चन्द्र घिल्डियाल, 3. बिपिन चन्द्र घिल्डियाल, पुत्रगण स्व0 चन्द्रमणी घिल्डियाल, ग्राम–डाबरी, पट्टी–बिचला बदरपुर, वर्तमान पता–बी 130, सैक्ट–4, डिफेन्स कालोनी, देहरादून, 4. दिवाकर, 5. प्रभाकर, 6. विजय भाष्कर, पुत्रगण सुशील घिल्डियाल, 7. अनिल कुमार पुत्र जयानन्द, निवासी– ग्राम डाबरी, पट्टी–बिचला बदरपुर, तहसील–लैन्सडोन, जिला–पौड़ी गढ़वाल, 8. उत्तरांचल राज्य द्वारा कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल, 9. ग्राम सभा–डाबरी द्वारा प्रधान ग्राम सभा, डाबरी, पट्टी बिचला बदरपुर, तहसील–लैन्सडोन, पौड़ी गढ़वाल।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपीलार्थी	:	श्री मोहन मैन्दोलिया।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री दिनेश प्रकाश त्यागी।

निर्णय

यह द्वितीय अपील समान पक्षों के मध्य योजित प्रथम अपील संख्या–4/2004–05 में अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निर्णीत/आदेश दिनांक 10–10–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील की पृष्ठभूमि संक्षेप में इस प्रकार है:–

उत्तरदातागण 1 से 6/वादीगण द्वारा भूमि खाता संख्या–11 क्षेत्रफल 226 नाली 11 मुठ्ठी स्थित ग्राम–डाबरी पल्ली, पट्टी–बिचला बदलपुर, तहसील–लैन्सडोन, जिला–पौड़ी गढ़वाल में अपीलकत्री/प्रतिवादिनी संख्या–3 पवित्रा देवी विधवा रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल के अंश की भूमि का स्वयं को भूमिधरी घोषित किये जाने हेतु धारा–229बी ज0वि0अधि0 का वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, लैन्सडोन के समक्ष दिनांक 18–01–2002 को इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मूल भूमिधर नरोत्तम घिल्डियाल के 3 पुत्रगण चन्द्रमणी घिल्डियाल, जयानन्द घिल्डियाल एवं रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल में से रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल का देहान्त वर्ष 1970 में बिना किसी पुरूष संतान के हो गया जिसके स्थान पर

उनकी पत्नी श्रीमती पवित्रा देवी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही शम्भू प्रसाद घिल्डियाल, निवासी–सेवलाकलां, चन्द्रबनी रोड, देहरादून से पुनर्विवाह कर लिया। श्रीमती पवित्रा देवी के उक्त शम्भू प्रसाद घिल्डियाल से पुनर्विवाह होने से उसके वादग्रस्त भूमि में समस्त अधिकार विधितः समाप्त हो गये एवं धारा–171 जं0वि0अधि0 के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल के निकटतम उत्तराधिकारी वादीगण को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस आधार पर वादीगण/उत्तरदातागण द्वारा मृतक रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल की भूमि का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने की प्रार्थना की। मूल वाद की कार्यवाही विधिवत सम्पादित कर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, लैन्सडोन द्वारा निष्कर्ष अंकित करते हुए कि अपीलकत्री/प्रतिवादिनी संख्या–3 ने पुनर्विवाह किया है, कि उसका विवादित भूमि पर कोई अध्यासन नही है उनके द्वारा वाद दिनांक 27–01–2005 को आज्ञप्त किया गया। इस निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर आयुक्त ने उभयपक्षों को सुनकर मूलवाद में पारित आदेश एवं आज्ञप्ति की पुष्टि कर प्रथम अपील दिनांक 10–10–2008 को अस्वीकृत की जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलीय ज्ञाप में द्वितीय अपील के आधार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधिक स्थिति की अनदेखी किया जाना अंकित है एवं सारवान/महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों के रूप में निम्न बिन्दु उल्लिखित किये गये हैं:–

(अ)– क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलकत्री पवित्रा देवी विधवा स्व0 रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल को शम्भू प्रसाद घिल्डियाल की ब्याहता पत्नी बिना प्रबल/पुष्ट साक्ष्य के माना है?

(ब)– क्या पक्षकारों के मध्य पूर्व में निर्णीत विभाजन का वाद आलोच्य घोषणात्मक वाद को वर्जित (bar) करता है?

(स)– क्या पूर्व निर्णीत विभाजन का वाद उत्तरदाता/वादीगण को घोषणात्मक वाद को विवन्धित (estoppe) करता है?

(द)– क्या विचारण न्यायालय में मौखिक साक्ष्य का अंकन आदेश 18 नियम 4 व 5 दी0प्र0सं0 सपठित संगत प्राविधान राजस्व न्यायालय नियमावली के उल्लघंन में हुआ है?

(य)– क्या अपीलार्थिनी का आदेश 41 नियम 27 दी0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सुव्यक्त (speaking) आदेश से निस्तारित किया गया है?

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं सभी स्तरों की पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

अपीलकत्री के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी मुख्य कथन है कि उभयपक्षों के पूर्व पुरूषों के मध्य विधिवत विभाजन हो चुका था एवं सम्बन्धित के खाते पृथक हो चुके थे,

कि विभाजन के पूर्व वाद के आज्ञप्त होने के दृष्टिगत आलोच्य घोषणात्मक वाद के विचारण का अधिकार विद्वान सहायक कलेक्टर को नही था, कि अपीलकत्री का कथित पुनर्विवाह का कोई साक्ष्य नही है जबकि उसके द्वारा स्वयं पुनर्विवाह का खण्डन किया गया है एवं स्वयं को रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल की पत्नी माना है, कि विभाजन के वाद के उपरान्त वादीगण/उत्तरदातागण आलोच्य वाद प्रस्तुत करने से विवन्धित हैं, क्योंकि वादीगण के पूर्व पुरूषों के जीवनकाल में विभाजन का वाद निर्णीत हुआ उसके 14 वर्ष बाद आलोच्य वाद प्रस्तुत किया गया, कि वाद पत्र की तामीली वादीगण/उत्तरदातागण द्वारा करायी गई एवं अपीलकत्री को शम्भू प्रसाद की पत्नी उनके द्वारा ही अंकित किया गया, कि शम्भू प्रसाद की पेंशन सम्बन्धी कागजों में अपीलकत्री का नाम गलती से अंकित हो गया एवं कि मूल अभिलेखों की छायाप्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य नही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा लीलाधर बनाम राज्य 2006 (1) एच0सी0 642 एवं महाराजा धिराज वर्दवान उदयचन्द महताबचन्द बनाम सुबोध गोपाल बोस व अन्य ए0आई0आर0 1971 एस0सी0 376 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनका उल्लेख यथास्थान किया जा रहा है।

उत्तरदातागण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी कथन इस प्रकार है कि पूर्व में निर्णीत विभाजन के वाद में उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उनपर कोई तामीली हुई तद्नुसार उक्त वाद एकपक्षीय रूप से निर्णीत हुआ, कि विभाजन के वाद में पारित आज्ञप्ति अंततः क्रियान्वयित नही हुई, कि अपीलकत्री/प्रतिवादिनी संख्या–3 का पुनर्विवाह अभिलेखीय साक्ष्य, प्रतिवाद पत्र में इसके सम्बन्ध में विशिष्ट इंकार (specific denial) के अभाव एवं वाद पत्र की शम्भू प्रसाद घिल्डियाल के पत्नी के रूप में अपीलकत्री/प्रतिवादिनी संख्या–3 पर तामील से सिद्ध हो जाता है, कि विभाजन के वाद से घोषणात्मक वाद वर्जित (barred) नही है, कि शम्भू प्रसाद घिल्डियाल द्वारा स्वयं का मौखिक साक्ष्य अंकित कराना एवं स्वयं अपीलकत्री का उसके साथ लम्बे सहवास उनके मध्य पुनर्विवाह की पूर्णधारणा (presumption) करते हैं, कि अपीलकत्री के पुनर्विवाह सिद्ध होने से वादग्रस्त उसके भूमि से अधिकार धारा–172 (2) जं0वि0अधि0 से समाप्त हो गये हैं, कि पीठासीन अधिकारी के मौखिक साक्ष्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं हस्ताक्षर सम्बन्धी तर्क प्रथम अवसर पर नही उठाया गया एवं पहली बार द्वितीय अपील में ही प्रस्तुत हुआ है जो कि मात्र एक तकनीकी त्रुटि हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में कृष्ण प्रतापसिंह बनाम उप संचालक, चकबन्दी फैजाबाद 1996 (87) आर0डी0 216 (एच0सी0) श्रीमती निर्मला व अन्य बनाम श्रीमती रूकमनी बाई व अन्य, ए0आई0आर0 1994 कर्नाटक 247 बद्रीप्रसाद बनाम उप संचालक, चकबन्दी, 1979 आर0डी0 87 (एस0सी0), ए0आर0 1978 (एस0सी0) 1557, एस0पी0एस0 बालासुब्रहमणयम बनाम रूस्तमन ए0आई0आर0 1992 एस0सी0 756 एवं अब्दुल रहमान खान बनाम उप संचालक, चकबन्दी 1980 ए0एल0जे0 590 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किया है जिनकी इस द्वितीय अपील में प्रासंगिकता यथा स्थान विवेचित की जा रही है।

इस द्वितीय अपील के विनिश्चयन में जो सारवान/महत्वपूर्ण विधिक एवं तात्विक बिन्दु अन्तर्निहित है वे मात्र 2 बिन्दुओं में समाहित है जो कि क्रमशः अपीलकत्री का पुनर्विवाह होना एवं आलोच्य वाद के पूर्व विभाजन के दृष्टिगत पोषणीय अथवा विवन्धित होना है।

विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है, अपीलकत्री/प्रतिवादिनी संख्या–3 का शम्भू प्रसाद घिल्डियाल से पुनर्विवाह सिद्ध पाया है। यह एक तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में दो अधीनस्थ न्यायालयों की समवर्ती निष्कर्ष (concurent finding) मात्र उसी स्थिति में परिवर्तित हो सकती है जबकि साक्ष्यों के विवेचन में कोई प्रत्यक्ष विपर्यस्थता (perversity) दृष्टिगोचर हो अथवा यह स्पष्ट हो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी साक्षी के साक्ष्य अथवा अन्य किसी साक्ष्य के एत्दसम्बन्धी विशेष पहलू का संज्ञान न लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित न्याय व्यवस्था 1996(87) आर0डी0 216 (एच0सी0) एवं स्वयं अपीलकत्री के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्याय व्यवस्था ए0आई0आर0 1971 एस0सी0 376 कि समवर्ती दो अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप तब तक नही किया जायेगा जब तक कि साक्ष्य के कोई महत्वपूर्ण अंश अनदेखी न की गई हो अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में कोई अप्रांसगिक विचार स्थान न पा गये हों इस विधिक स्थिति की पुष्टि करती है। वर्तमान प्रकरण में यद्यपि अपीलकत्री के पुनर्विवाह का प्रत्यक्ष साक्ष्य (direct evidence) नही है परन्तु अभिलेखीय साक्ष्य यथा शम्भू प्रसाद घिल्डियाल के पेंशन अभिलेख एवं निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियां जिनके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय खण्डन नही हो पाया है, से स्पष्ट है कि अपीलकत्री ने शम्भू प्रसाद घिल्डियाल से विधिवत पुनर्विवाह न भी किया हो तो भी वह उसके साथ एक लम्बी अवधि से पत्नी के रूप में रह रही है। अपीलकत्री ने यद्यपि अपने मौखिक साक्ष्य में स्वयं के पुनर्विवाह का खण्ड्न किया है परन्तु उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के दृष्टिगत उसका शम्भू प्रसाद घिल्डियाल के साथ पत्नी के रूप में लम्बी अवधि से रहना सिद्ध है। इसके अतिरिक्त वाद पत्र में अंकित पुनर्विवाह के आधार का प्रबल खण्डन प्रतिवाद पत्र में नही किया गया है जबकि पुनर्विवाह के खण्डन सम्बन्धी कथन प्रतिवाद पत्र का मुख्य कथन होना चाहिए। अपीलकत्री के पुनर्विवाह की ओर संकेत करने वाले सार्वजनिक अभिलेखों (public documents) का कोई प्रबल खण्डन (strong rebuttal) नही हुआ है। अपीलकत्री के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि पुनर्विवाह सिद्ध नही है क्योंकि कथित अभिलेखीय साक्ष्य की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नही है। मैंने विचारण न्यायालय की पत्रावली का इस सम्बन्ध में अवलोकन किया। पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित छायाप्रति, पेंशन, राशिकरण एवं उपादान (ग्रेजुटी भुगतान) सम्बन्धी अभिलेखों की छायाप्रतियां आदि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर कागज संख्या–अ 35/2, अ 35/3, अ 35/4 है जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, देहरादून का पत्र संख्या–7623 दिनांक 19–12–2003 कागज

संख्या–अ 35/1 अति स्पष्ट है जिसमें यह अंकित है कि उक्त अभिलेखों की मूल प्रतियां विशेष वाहक के द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 03–12–1999 को भेजी गई थी जिन्हें जय भगवान वर्मा कार्यालय सहायक के माध्यम से पुनः भेजा जा रहा है। तद्नुसार अपीलकत्री के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नही है कि मूल अभिलेख नही प्रस्तुत हुए। जंहा तक निर्वाचक नामावली की छायाप्रति प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी तर्क का प्रश्न है निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ही साक्ष्य में ग्राह्य होती है एवं प्रमाणित छायाप्रति ही विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय/आदेश में बिन्दु संख्या–1 के विनिश्चयन में मूल पेंशन अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के तथ्य का उल्लेख किया है, मै तद्नुसार अपीलकत्री के विद्वान अधिवक्ता के एत्दसम्बन्धी तर्क को अमान्य करता हूँ।

यह सही है कि पुनर्विवाह को पूर्णतः सिद्ध किया जाना चाहिए था जिसका प्रभार सम्बन्धित वादी एवं उत्तरदाता प्रथा परन्तु पूर्व विवेचित अभिलेखीय साक्ष्य की प्रविष्टियों एवं पुनर्विवाह के सम्बन्ध में अपीलकत्री/प्रतिवादिनी के प्रबल खण्डन के अभाव में पुनर्विवाह अभिलेखीय साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 1996 (87) आर0डी0 216 (एच0सी0), ए0आई0आर0 1994 कर्नाटक 247, 1979 आर0डी0 89 (एस0सी0), ए0आई0आर0 1992 एस0सी0 756 एवं 1980 ए0एल0जे0 590 में प्रतिपादित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय, कर्नाटक, मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की न्यायिक व्यवस्थाएं कि पति–पत्नी के रूप में दीर्घकालीन सहवास (long cohabitation) से पति–पत्नी होने की अवधारणा होती है/की जायेगी एवं पुनर्विवाह प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नही, इस प्रकरण में सटीक रूप से लागू होता है। तद्नुसार प्रश्नगत अभिलेखीय साक्ष्य विश्वसनीय है जिससे अपीलकत्री के पुनर्विवाह की पुष्टि होती है।

अपीलीय ज्ञाप का मुख्य विधिक आधार यह है कि धारा–176 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत पूर्व में उभयपक्षों के मध्य निर्णीत विभाजन के वाद के दृष्टिगत आलोच्य घोषणात्मक वाद वर्जित (barred) है अथवा विकल्पतः विवन्धित (estopped) है। ऐसा कोई विधिक प्राविधान नही दिखाया गया कि मात्र विवादग्रस्त भूमि के विभाजन मात्र से अथवा उसके पृथक खाते होने से घोषणात्मक वाद पोषणीय नही है। मेरी जानकारी में भी ऐसा कोई विधिक प्राविधान नही है जो सम्भवतः खातेदारों के मध्य विधिक विभाजन के दृष्टिगत घोषणात्मक वाद को वर्जित करे। विशेष रूप से उक्त दशा में जबकि महिला भूमिधर के पुनर्विवाह के आधार पर उसके अधिकारों की समाप्ति का प्रश्न अन्तर्निहित हो।

विवन्धन का सिद्धान्त सम्बन्धित पक्ष के पूर्व आचरण पर आधारित है। यद्यपि इस प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया गया है कि वादीगण/उत्तरदातागण का कौन सा ऐसा आचरण है जिससे वे अपीलकत्री के पुनर्विवाह के तथ्य का कथन प्रस्तुत करने से वे विवन्धित हो, मात्र आलोच्य वाद विभाजन वाद के लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाने का आधार ही

एक ऐसा आधार माना जा रहा है जिससे वाद विवन्धित होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। घोषणात्मक वाद कालवाधित नही है न ही इस सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य प्रस्तुत हुआ है। पुनर्विवाह के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेखीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं अतः पुनर्विवाह के आधार पर कब तक घोषणात्मक वाद लाया जा सकता था, की स्थिति स्पष्ट नही है। जंहा तक उनके द्वारा प्रस्तुत 2006 (1) यू0सी0 642 में दी गई इस न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है यह न्याय व्यवस्था वर्तमान अपील में प्रांसगिक नही है क्योंकि माता–पिता के विरूद्ध प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी अधिकार की याचना नही की गई है। वस्तुतः आलोच्य वाद का आधार प्रतिकूल अध्यासन है नही।

जंहा तक अपीलीय ज्ञाप में उल्लिखित बिन्दु कि उसके आदेश 41 नियम 27 दी0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विद्वान अपर आयुक्त ने सुव्यक्त आदेश से नही किया है, का सम्बन्ध है प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस दिन अपीलकर्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई उसी दिन सम्भवतः प्रश्नगत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान नही लिया जा सका, यदि उक्त प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर देखें तो स्पष्ट होता है कि शम्भू प्रसाद घिल्डियाल के पेंशन अभिलेखों में उसके अनुरोध पर अपीलकत्री के नाम को हटाने सम्बन्धी पत्राचार की प्रतियों को ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र बहस के स्तर पर प्रस्तुत किया गया एवं उस पर बल दिया जाना भी प्रमाणित नही है अन्यथा इस पर बहस से पूर्व आदेश हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय से आग्रह किया जा सकता था। वैसे भी पेंशन अभिलेखों से अपीलकत्री को शम्भू प्रसाद घिल्डियाल की पत्नी के रूप में अंकन को हटाने का प्रयास पश्चात कल्पना (after thought) है जो आलोच्य वाद में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के कुप्रभाव को हटाने की चेष्टा मात्र है। प्रश्न यह भी है कि द्वितीय अपील में उक्त प्रार्थना पत्र पर बल क्यों नही दिया गया? अथवा वर्णित प्रयास का अंततः परिणाम क्या रहा? एक अन्य तर्क की मौखिक साक्ष्य के अंकन में पीठासीन अधिकारी के प्रमाण पत्र नही अंकित है, का जंहा तक प्रश्न है, वादी के पक्ष की ओर से मात्र साक्षी भुवनेशचन्द्र के साक्ष्य का प्रमाणीकरण नही है। प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य संख्या–1 शम्भू प्रसाद घिल्डियाल के मुख्य साक्ष्य का प्रमाणीकरण पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया है एवं साक्षी संख्या–2 के साक्ष्य का प्रमाणीकरण भी हुआ है यद्यपि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है यह साक्ष्याकंन का प्रमाणीकरण न होना एक तकनीकी त्रुटि है। इस द्वितीय अपील में यह अवधारित किया जा चुका है कि पुनर्विवाह का तथ्य अभिलेखीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध है तो अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए भी मौखिक साक्ष्य पर विश्वास न व्यक्त करते हुए भी अपील का परिणाम अपरिवर्तनीय रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह द्वितीय अपील स्वीकारणीय नही है।

आदेश

द्वितीय अपील निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 06–04–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।